

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.2(6)न्याय/2018 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 6.9.2021

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.09.2021, जिसके द्वारा 34 विशेष न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 प्रकरण का क्षेत्राधिकार नियत किया गया था, की क्रम संख्या 20, 21 एवं 22 की कॉलम संख्या 2 में जयपुर महानगर के स्थान पर जयपुर महानगर द्वितीय पढ़ा जावे।

राज्यपाल के आदेश से


  
6.9.2021

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. संबंधित जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस कमिश्नर/ पुलिस अधीक्षक।
9. संबंधित न्यायालय।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
6.9.2021  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव